# कल्याणकारी उपाय

# कल्याणकारी उपाय

## कोल इंडिया:

### 1 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु लिए गए नीतिगत निर्णय–

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, सीआईएल द्वारा एक सीआईएल समान अवसर नीति तैयार की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी सुविधाएं, प्रौद्योगिकी, सूचना और विशेषाधिकार सुलभ हो। सीआईएल समान अवसर नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं: –

1) **सुविधा और सुविधाएं** – आवश्यकता के अनुसार पहुंच योग्य मानक के लिए भौतिक और डिजिटल अवसंरचना।

2) पदों की सूची की पहचान।

3) भर्ती उपरांत और पदोन्नति–पूर्व–प्रशिक्षण।

4) स्थानांतरण/पदोन्नति के दौरान तैनाती के स्थान हेतु वरीयता।

5) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान।

6) आवासीय आवास के आवंटन में वरीयता।

7) सहायता/सहायक उपकरण प्रदान करना – सहायक उपकरण (कम दृष्टि एड्स, बैटरी के साथ श्रवण यंत्र सहित), विशेष फर्नीचर, व्हील चेयर (कर्मचारी द्वारा आवश्यक होने पर मोटर चालित), उनकी दक्षता में सुधार के लिए उनके कार्य हेतु उपयोग के लिए कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर।

8) दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण मामलों की देखभाल करने के लिए संपर्क अधिकारी।

9) दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों की देखभाल के लिए शिकायत निवारण अधिकारी।

10) कार्यस्थल पर पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण:

   क) प्रवेश द्वार पर रैंप

   ख) रेलिंग

   ग) सुलभ शौचालय

   घ) व्हील चेयर

   ङ) लिफ्ट/एलिवेटर्स

11) यात्रा/प्रशिक्षण के दौरान यात्रा हेतु दिव्यांग कर्मचारी के साथ जाने वाले परिचर/एस्कार्ट को यात्रा भत्ता (यात्रा भाड़ा) का भुगतान किया जाता है।

इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार 2016 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 34 के तहत खंड (क), (ख), और (ग) के तहत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को 1: और खंड (घ) और (ड.) के तहत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है:

क) अंधापन और कम दृष्टि

ख) बहरा और सुनने में मुश्किल

ग) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, निदान, बौनापन, एसिड हमले के शिकार और मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता;

घ) आट्रिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक बीमारी;

ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत व्यक्तियों में से बहु–दिव्यांगता जिसमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए अभिज्ञात पदों में बहरापन भी शामिल है।

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में, 01.01.25 को

कुल 222692 कर्मचारियों में से 709 दिव्यांग कर्मचारी हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से कोई बजट आबंटित नहीं किया जाता है। तथापि, कल्याण कार्यकलापों में खर्च की गई राशि दिव्यांग व्यक्तियों सहित सीआईएल के सभी कर्मचारियों के लिए है, जिसमें दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाती है।

## 1.2 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयनः

दिनांक 01.01.2025 को सीआईएल में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरणः

| कंपनी | कर्मचारियों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कुल | वीएच | एचएच | ओएच |
| ईसीएल | 47678 | 12 | 21 | 75 |
| बीसीसीएल | 32599 | 19 | 6 | 25 |
| सीसीएल | 33420 | 30 | 18 | 31 |
| डब्ल्यूसीएल | 32442 | 74 | 13 | 107 |
| एसईसीएल | 37959 | 24 | 13 | 69 |
| एमसीएल | 21184 | 17 | 11 | 31 |
| एनसीएल | 13466 | 9 | 15 | 57 |
| सीएमपीडीआईएल | 2738 | 3 | 4 | 16 |
| एनईसी | 558 | 0 | 0 | 1 |
| सीआईएल (मुख्यालय) | 648 | 2 | 1 | 5 |
| **कुल** | **222692** | **190** | **102** | **417** |

## 1.3 एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस को आरक्षणः

राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के संबंध में भर्ती के दौरान और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संबंध में पदोन्नति के दौरान आरक्षण नीति लागू की जा रही है।

| | सीधी भर्ती | | | | पदोन्नति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| समूह–क और ख पदों के लिए | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | समूह क, ख, ग और घ के लिए | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
| खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर (लिखित) | 15% | 7 ½% | 27% | 10% | अखिल भारत | 15% | 7 ½% |
| लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित न करने के अलावा अखिल भारतीय आधार पर | 16⅔% | 7 ½% | शेष 50% तक सीमित | 10% | | | |

उपरोक्त के अलावा, जहां राज्य–वार आरक्षण मानदंडों का पालन किया जा रहा है और जहां सहायक कंपनियां प्रचालनरत हैं, वहां समूह ग पदों पर भर्ती में आरक्षण के संबंध में एक निदेश है। सहायक कंपनी–वार/राज्य–वार आरक्षण प्रतिशत नीचे दिया गया है:

| कंपनी | राज्य | अनुसूचित जाति का % | अनुसूचित जनजाति का % | अन्य पिछड़ा वर्ग का % |
|---|---|---|---|---|
| बीसीसीएल | झारखंड | 12 | 26 | 12 |
| सीसीएल | झारखंड | 12 | 26 | 12 |
| सीएमपीडीआईएल | झारखंड | 12 | 26 | 12 |
| ईसीएल | पश्चिम बंगाल | 23 | 5 | 27 |
| सीआईएल, कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 23 | 5 | 27 |
| एमसीएल | ओडिशा | 16 | 22 | 12 |
| एनसीएल | मध्य प्रदेश | 15 | 20 | 15 |
| एसईसीएल | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ | 12 | 32 | 13 |
| डब्ल्यूसीएल | महाराष्ट्र | 10 | 9 | 27 |
| एनईसी | असम | 7 | 12 | 27 |

सीआईएल में दिनांक 01.01.2025 को समूह–वार जनशक्ति के साथ–साथ एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में) नीचे दिया गया है:

| समूह | कुल संख्या | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग |
|---|---|---|---|---|
| क | 14795 | 2461 | 1017 | 3456 |
| ख | 13605 | 2044 | 1299 | 3150 |
| ग | 116001 | 19257 | 14630 | 25639 |
| घ | 78291 | 13677 | 11526 | 20072 |
| **कुल** | **222692** | **37439** | **28472** | **52317** |

## 2. एससीसीएल

### 2.1 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु लिए गए नीतिगत निर्णय "–

डब्ल्यूसीडीएवंएससी विभाग, तेलंगाना सरकार ने जीओम सं. 10, दिनांक 30.8.2018 को जारी किया जिसमें सीधी भर्ती में पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के पक्ष में 4% आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश की सूचना दी गई। इसके बाद, सामान्य प्रशासन (एसईआर.डी) विभाग, तेलंगाना सरकार ने जीओम सं. 10 दिनांक 30.8.2018 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996 में कुछ संशोधन करते हुए दिनांक 22.07.20219 को जीओएम सं. 96 जारी किया।

उपरोक्त के अनुरूप, वर्ष 2022 में जूनियर सहायक, ग्रेड–II (बाहरी) भर्ती के साथ कंपनी में पहली बार 4% (40% से अधिक विकलांगता वाले) पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों का आरक्षण लागू किया गया था।

इसके अलावा, हाल की अधिसूचना 01/2024 और 02/2024 में विकलांग व्यक्तियों (न्यूनतम 40% विकलांगता के साथ) पीडब्ल्यूडी आरक्षण को निम्नलिखित सतही पदों के लिए लागू किया गया था, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी श्रेणी की अनुमति दी जा सकती है।

पीडब्ल्यूडी रिक्तियों को अधिसूचना संख्या 1/2024 में निम्नलिखित पदों के लिए अधिसूचित किया गया है

| क्र.सं. | पद का नाम |
|---|---|
| 1 | प्रबंधन प्रशिक्षु (एफ एंड ए), ई –2 ग्रेड |
| 2 | कनिष्ठ एस्टेट अधिकारी, ई–1 ग्रेड |
| 3 | प्रबंधन प्रशिक्षु (सिविल) ई–2 ग्रेड |
| 4 | कनिष्ठ वन अधिकारी, ई–1 |
| 5 | जीडीएमओ, ई –3 ग्रेड |

अधिसूचना संख्या 2/2024 में निम्नलिखित पदों के लिए अधिसूचित पीडब्ल्यूडी रिक्तियां

| क्र.सं. | पद का नाम |
|---|---|
| 1 | प्रबंधन प्रशिक्षु (सिस्टम), ई –2 ग्रेड |

वर्तमान में एससीसीएल में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या 14 है।

## 2.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीएसी को आरक्षण:

राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती के दौरान और पदोन्नति के दौरान आरक्षण नीति कार्यान्वित की जा रही है।

एससीसीएल में 31.12.2024 को श्रेणी–वार पुरुष रोल पर नीचे दिए गए हैं:

| श्रेणियाँ | कार्यपालक | एनसीडब्ल्यूए कर्मचारी | कुल | कुल % |
|---|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 414 | 8,748 | 9,162 | 22 |
| अनुसूचित जनजाति | 160 | 3,046 | 3,206 | 8 |
| ओबीसी | 1,115 | 21,708 | 22,823 | 56 |
| सामान्य | 581 | 5,121 | 5,702 | 14 |
| **कुल:** | **2,270** | **38,623** | **40,893** | |

## 2.3 कल्याणकारी उपाय

- कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों जैसे आवास और स्वच्छता, शैक्षिक, मनोरंजन, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के साथ चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो प्रचलित हैं, को जारी रखा जा रहा है।

## 2.4 एससीसीएल की कल्याण गतिविधियों का सारांश निम्नलिखित है:

तेलंगाना राज्य के गठन के बाद, ऋसगरेनी के कर्मचारियों को दिया जाने वाला लाभ हिस्सा 18% से बढ़कर 33% हो गया है। इससे 2014 से 2024 तक श्रमिकों को कुल 3583.94 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। तेलंगाना सरकार ने एससीसीएल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है।

अनुकंपा रोजगार स्कीम के सरलीकरण के कारण, तेलंगाना राज्य के गठन के बाद दिसंबर 2024 तक कुल 17,203 कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं और बाहरी भर्ती के माध्यम से 4,790 व्यक्तियों को नियोजित किया गया है।

2024 के दौरान, कुल 599 पदों के लिए सीबीटी के माध्यम से (कार्यकारी और गैर–कार्यकारी) परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

एससीसीएल ने अपने पात्र कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त आवास ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है।

कुल 59,845 कर्मचारियों को अगस्त, 2014 से प्रभावी प्रति माह की दर से 5.04 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के साथ तेलंगाना वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया।

कर्मचारियों के घरों में वातानुकूलित कनेक्शन की सुविधा चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2023–24 के लिए निष्पादन ऋलक्ड रिवॉर्ड स्कीम के तहत कर्मचारियों को 93,500 रुपये का भुगतान किया गया है। फेस्टिवल एडवांस को 2014 में 10,000/– रुपये से बढ़ाकर 2024 में 25,000 रुपये कर दिया गया है।

सेवानिवृत्त कामगारों और उनके पति/पत्नी के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा देखभाल योजना कार्यान्वित की जा रही है। कर्मचारियों के माता–पिता को कॉर्पोरेट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गईं।

महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है और इसे 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया जाता है।

आश्रित रोजगार या मासिक मौद्रिक मुआवजे (एमएमसी) के बदले एकमुश्त राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई।

आईआईटी/आईआईएम में पढ़ रहे कामगारों के बच्चों के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को सवेतन अवकाश घोषित। सिंगरेनी कर्मचारियों के लिए संक्रांति/रमजान (ईद–उल–फितर)/क्रिसमस के अवसर पर वैकल्पिक भुगतान अवकाश की घोषणा।

कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों जैसे आवास और स्वच्छता, शैक्षिक, मनोरंजन, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के साथ चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो प्रचलित थीं, को जारी रखा जा रहा है।

**आवास:** समग्र आवास संतुष्टि 100% है।

**शिक्षा:** कंपनी कर्मचारियों के बच्चों और आसपास के अन्य निवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 9 हाई स्कूल, 1 महिला पीजी और डिग्री कॉलेज और 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रही है। इसके अलावा, विकलांग छात्रों के लिए 3 स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

**पेयजल:** कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यालयों, खानों, अस्पतालों, गेस्ट हाउस, प्रशिक्षण केंद्रों आदि में आरओ शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए जाते हैं।

**योग और मनोरंजन:** योग और ध्यान शिविर पूरे वर्ष बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को खेल सुविधाएं और आवश्यक अवसंरचना प्रदान की जा रही है और उन्हें खेल और खेलकूद में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

**सेवानिवृत्त कामगारों** और उनके पति/पत्नी के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा देखभाल योजना कार्यान्वित की जा रही है।

**सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:** सामाजिक सुरक्षा स्कीमें अर्थात् जनता कार्मिक दुर्घटना बीमा स्कीम (जेपीएआईएस), परिवार लाभ बीमा स्कीम (एफबीआईएस), समूह बीमा स्कीम, कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएस) और अंशदायी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम लागू की जा रही हैं।

**अनुकंपा रोजगार:** उन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती हैं या चिकित्सकीय रूप से अमान्य हो जाते हैं।

**चिकित्सा और स्वास्थ्य:** एससीसीएल के पास 7 क्षेत्रीय अस्पताल, 21 औषधालय हैं जिनमें अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए 821 बेड उपलब्ध कराए गए हैं। एससीसीएल संवर्धनात्मक, निवारक, चिकित्सीय (इन पेशेंट, बहिरंग रोगी, नैदानिक, पैथोलॉजिकल) व्यावसायिक, रेफरल सेवाएं (हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल और खम्मम आदि में एससीसीएल के पैनल में शामिल 75 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल) प्रदान कर रहा है।

**सहकारी समिति और बिक्री डिपो:** खानों और विभागों में काम करने वाले एससीसीएल के कामगारों को "कर्मचारी सहकारी ऋण समिति" का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि बचत की संस्कृति को विकसित किया जा सके और कर्मचारियों को ऋण प्राप्त करने के लिए साहूकारों के पास जाने से रोका जा सके।

**अन्य:** निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं

- कर्मचारियों के बच्चों को मेरिट स्कॉलरशिप
- आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश लेने पर एनसीडब्ल्यूए कर्मचारियों के बच्चों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति।
- निवल लाभ में से विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान ।
- निष्पादन से जुड़ी पुरस्कार योजना का भुगतान।
- त्यौहार अग्रिम का भुगतान।

- मातृत्व अवकाश और महिला एनसीडब्ल्यूए कर्मचारियों को बाल देखभाल अवकाश का अनुदान।
- गृह निर्माण ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति योजना।
- कर्मचारियों के घरों में एसी कनेक्शन की सुविधा।

## 3) एनएलसीआईएल

### 3.1 एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा कल्याणकारी उपाय

### दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016 का कार्यान्वयन

एनएलसी इंडिया लिमिटेड में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए एक समान अवसर नीति लागू है, जिसमें कार्यस्थल पर सुलभ और बाधा मुक्त वातावरण, व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल शौचालय, सहायक उपकरण प्रदान करना, आवासीय आवास में वरीयता, पोस्टिंग का विकल्प, 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश, भर्ती के बाद प्रशिक्षण, आरक्षित वाहन पार्किंग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत मूल वेतन के 35% की समग्र सीमा के अलावा दिव्यांगजन अधिकारियों और गैर–संघबद्ध पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त परिवहन सहायता प्रति माह की दर से मूल वेतन का 4% यदि वह चार पहिया वाहन का मालिक है और 2% यदि वह 2 पहिया वाहन का मालिक है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड डीओपीएंडटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी के लिए 19–04–2017 से रोजगार में 4% आरक्षण (07–02–1996 से 18–04–2017 तक 3% आरक्षण) का पालन करता है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यबल में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करता है।

30 नवंबर 2024 तक एनएलसीआईएल में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (एचएच, ओएच, वीएच श्रेणी के तहत) का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है।

| समूह | कुल संख्या | बेंचमार्क विकलांगता की प्रकृति | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | एचएच | ओएच | वीएच | कुल |
| क | 3,022 | 5 | 31 | 3 | 39 |
| ख | 334 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ग | 5,121 | 9 | 66 | 12 | 87 |
| घ | 2,061 | 40 | 12 | 24 | 76 |
| **कुल** | **10,538** | **55** | **110** | **39** | **204** |

*एचएच – श्रवण विकलांग; ओएच – आर्थोपेडिक रूप से विकलांग; वीएच – दृष्टिहीन विकलांग*

पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को प्रदान किए गए कल्याणकारी उपायों के अलावा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कंपनी द्वारा की गई कुछ अन्य पहलें इस प्रकार हैं:

क) एनएलसी इंडिया लिमिटेड वर्ष 1987 से मानसिक विकलांग विशेष बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्नेहा स्कूल नामक एक डे केयर स्कूल चलाता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा संरक्षित स्नेहा अवसर सेवाओं और स्कूल के माध्यम से बच्चों को कला और शिल्प, मोमबत्ती बनाने, पेपर कप / कवर बनाने, बढ़ईगीरी, बागवानी, डोरमैट बुनाई आदि जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में स्कूल में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की संख्या 71 है, जिनमें से 55 लड़के और 16 लड़कियां हैं।

ख) एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा संरक्षित नेयवेली हेल्थ प्रमोशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी (एनएचपीएसडब्ल्यूएस) नामक सोसायटी के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विकलांग व्यक्तियों को ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्रों का नियमित वितरण।

## 3.2 एससी/एसटी को आरक्षण

एनएलसी इंडिया लिमिटेड सीधी भर्ती और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। भर्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित पद आधारित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के अनुसार की जाती हैं। एनएलसीआईएल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू आरक्षण नियमों/दिशा–निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारियों के अधीन पृथक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किए जाते हैं।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण का लाभ ऐसे लाभों के हकदार सही दावेदारों को जाना चाहिए; एनएलसीआईएल संबंधित राज्य/जिला प्राधिकारियों/जिला स्तरीय सतर्कता समिति (डीएलवीसी)/राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति (एसएलएससी) के माध्यम से प्रारंभिक नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की जाति स्थिति के सत्यापन का निष्ठापूर्वक अनुसरण करता है।

30 नवंबर 2024 तक एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कुल जनशक्ति 10,538 है और 30 नवंबर 2024 तक एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व आरक्षण के उनके लागू प्रतिशत की तुलना में नीचे दिया गया है।

| समूह | कुल संख्या | आरक्षण हेतु लागू % | | अनुसूचित जातियों की संख्या | | अनुसूचित जनजातियों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति % | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजातियों का % |
| क | 3,022 | 15 & 16.66* | 7.5 | 638 | 21.11 | 318 | 10.52 |
| ख | 334 | 15 & 16.66* | 7.5 | 65 | 19.46 | 23 | 6.89 |
| **कुल** | **3,356** | **-** | **-** | **703** | **20.92** | **341** | **10** |

| समूह | कुल संख्या | आरक्षण हेतु लागू % | | अनुसूचित जातियों की संख्या | | अनुसूचित जनजातियों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति % | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजातियों का % |
| ग | 5,121 | 19 | 1 | 976 | 19.06 | 50 | 0.98 |
| घ | 2,061 | 19 | 1 | 496 | 24.07 | 06 | 0.29 |
| **कुल** | **7,182** | **-** | **-** | **1,472** | **20.50** | **56** | **0.78** |

**खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए 15% आरक्षण।*

**खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए 16.66% आरक्षण।*

ऊपर दिखाए गए आरक्षण की मात्रा तमिलनाडु में समूह ग और घ पदों के लिए लागू है। तथापि, समूह–ग और घ पदों के लिए आरक्षण की मात्रा का निर्धारण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सामान्यतः किसी स्थान अथवा क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए किया जाता है।

## 3. लोक शिकायत निवारण –अप्रैल 2024 से नवंबर 2024

| निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त लोक शिकायत | अग्रेषित किया गया/प्राप्त किया गया | निवारण किया गया | लंबित |
|---|---|---|---|
| ऑनलाइन पोर्टल– कोयला मंत्रालय | 93 | 85 | 08 |
| वी.आई.पी. संदर्भ | 53 | 50 | 03 |
| मुख्यमंत्री स्पेशल सेल/चेन्नई | 70 | 68 | 02 |
| जिला कलेक्टर/कुड्डालोर | 98 | 87 | 11 |
| सीधे सीएमडी को संबोधित/मेल के माध्यम से | 29 | 18 | 11 |
| **कुल** | **343** | **308** | **35** |

## कर्मचारी कल्याण:

| निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त लोक शिकायत | | |
|---|---|---|
| आरक्षण वर्ग | छात्रों की संख्या | स्वीकृत राशि (रु) |
| सामान्य श्रेणी | 52 | 5,14,000/- |
| ओबीसी | 340 | 39,12,000/- |
| **एससी/एसटी** | **621** | **70,86,000/-** |

**(ii) नकद पुरस्कार (अप्रैल–2024 से नवंबर–2024)**

| शैक्षणिक वर्ष | 10वीं कक्षा | | 12वीं कक्षा | |
|---|---|---|---|---|
| | छात्रों की संख्या | राशि (रु.) | छात्रों की संख्या | राशि (रु.) |
| 2024 | 70 | 35,000 (70 x 500) | 63 | 63,000/- (63 x 1000) |
| **छात्रों की कुल संख्या** | 70 + 63 = 133 | **स्वीकृत कुल राशि: रु. 98,000/– (35,000 + 63,000)** | | |

| (iii) मृत्यु राहत कोष (अप्रैल–2024 से नवंबर–2024) | |
|---|---|
| **लाभार्थियों की कुल संख्या : 42** | सेवारत कर्मचारियों के वेतन से वसूल की गई मृत्यु राहत राशि मृत कर्मचारी के नामिती (नामितियों) को देय होगी। |
| **(iv) पारिवारिक राहत (अप्रैल–2024 से नवंबर–2024)** | |
| **लाभार्थियों की कुल संख्या: 61** | पारिवारिक राहत राशि मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को देय है। |